न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 279/2021

प्रार्थीगण :

हमीरराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी माचरो की ढाणी खेडी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. बिरमाराम पुत्र अचलाराम
2. मोहनराम पुत्र अचलाराम
3. राजेन्द्र पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी माचरो की ढाणी खेडी सालवा
4. केलकी पत्नि गिरधारीराम
5. गोपाराम पुत्र गिरधारीराम
6. जसाराम पुत्र गिरधारीराम
7. कोजाराम पुत्र शिवजीराम
8. रामदीन पुत्र शिवजीराम
9. मांगीलाल पुत्र मोटाराम सभी जातियान जाट निवासीयान माचरो की ढाणी खेडी सालवा
10. घेवरराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी बुडकिया रोड खेडी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
11. तहसीलदार तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मो.फारूख खान सिन्धी प्रार्थी की ओर से

श्री बक्तावरसिंह जाखड अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से

श्री निर्मल कटारिया अप्रार्थीगण सं. 4 से 10 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 20.12.2021

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम खेड़ी सालवां भू. अ.निरीक्षक क्षैत्र सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 460 रकबा 2.2086 हैक्टयर व खसरा नम्बर 461 रकबा 3.5192 हैक्टयर की भूमि प्रार्थी की कब्जासुदा व खातेदारी की अवस्थित है जिसमें प्रार्थी सपरिवार निवास करता है तथा कृषि कार्य से आजीविका कमाता है । उक्त खसरा नम्बर के खेत में आने जाने कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र ले जाने हेतु प्रार्थी लम्बे समय से खसरा नम्बर 439, 442 से संलग्न नक्शा में मार्क A से B होकर आवागमन करता आया लेकिन अभी दिनांक 07.06.2021 को अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता रोक दिया तथा ऐलानिया धमकियॉ दी । जिस पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश करना पड़ रहा है, प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 460, 461 में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 439, 442 से संलग्न नक्शा परिशिष्टि A के मार्क A से B के अनुसार 20 फिट का रास्ता दिया जाय क्योकि प्रार्थी के पास अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वैकल्पिक रास्ता नही है, इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में न्यायालय हाजा में जरिये वकील श्री मो. फारूख खान द्वारा दिनांक 14.06.2021 को पेश किया ।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो के जरिये नोटिस तलब किया जिस पर दिनांक 30.06.2021 को अप्रार्थी सं. 4 ता. 10 की ओर से वकील श्री निर्मल कटारिया ने मय वकालतनामा इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से अक्षरशः सहमति जताकर निवेदन किया कि यदि रास्ता 251 क के नियमानुसार दिया जाता है तो अप्रार्थी सं. 4 ता. 10 कोई उज्र एतराज नही है । जबाब शामिल पत्रावली कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की। अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 की ओर से वकील श्री बक्तावरसिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा जो न्याय हित में दिया गया।

3. दिनांक 30.07.2021 को तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश जो शामिल पत्रावली की गई मौका रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट होने से पुनः तहरीर जारी की जिस पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प खेड़ी सालवां में विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश जो शा. पत्रावली की गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 460, 461 आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एकमात्र विकल्प रेल्वे फाटक से खेड़ी सालवा ग्रेवल सड़क से प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु तीन वैकल्पिक रास्ते हो सकते है प्रथम विकल्प में संलग्न मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शानुसार खसरा नम्बर 439, 442 से होकर द्वितीय विकल्प खसरा नम्बर 440, 439, 442 से होकर व तृतीय विकल्प के रूप में खसरा नम्बर 438, 470, 469, 442 से होकर प्रार्थी के खेत तक पहुंचा जा सकता है जो सब से अधिक उपयुक्त व सुविधाजनक है । दिनांक 19.12.2021 को वकील अप्रार्थी सं. 01 ता. 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर आपति का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 को हैरान परेशान करने व अप्रार्थी की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से गलत तथ्यो के साथ न्यायालय में आया है जबकि प्रार्थी खेड़ी चारणा जाने वाली सड़क से निकट रास्ता उपलब्ध है, रेल्वे फाटक से निकलने वाली ग्रेवल सड़क प्रार्थीगण का निजी रास्ता है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नही है अतः अप्रार्थीगण स्वयं ही कटाणी रास्ता से जुड़े हुए नही है इसीलिये अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 के खेत से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित नहीं है, ना ही कभी अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता चलता था और ना ही कभी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के आवागमन में बाधा कारित की क्योकि प्रार्थी का रास्ता दूसरी तरफ से है जहां से अप्रार्थीगण को कोई लेना देना नही है अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें । साथ ही मौका रिपोर्ट पर आपति प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया है कि मौका रिपोर्ट एकतरफा बनायी गयी है अप्रार्थीगण को सूचित नही किया, ना ही कुल दूरी बतायी और ना ही अप्रार्थीगण के खेत से कोई रास्ता चलता है अतः पुनः मौका रिपोर्ट रूबरू अप्रार्थीगण के बनाकर मंगवायी जावें जिस पर सुना जाकर आपति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जबाव अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 को शा. पत्रावली किया जाकर पत्रावली पर बहस हेतु दिनांक 20.12.2021 को मुकर्रर की ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

4. दिनांक 20.12.2021 को वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध विकल्पो में से किसी एक विकल्प के अनुसार रास्ता देने तथा नियमानुसार प्रतिकर राशि अदा करने पर सहमति देते हुए गुणावगुण पर पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 के साथ अप्रार्थी सं. 01 स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम अप्रार्थी सं. 1 ता. 3 पटवारी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के विकल्प सं. 02 के अनुसार प्रार्थी को रास्ता देने हेतु सहमत है, नियमानुसार यदि रास्ता दिया जाता है तो हमें कोई उज्र एतराज नही है, वकील अप्रार्थी सं. 4 ता. 10 ने भी सहमति जताई । सभी पक्षो को सुना गया । पत्रावली, पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन अवलोकन किया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीगण की सहमति होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त एतद् द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 460, 461 मौजा खेड़ी सालवा तहसील पीपाड़ शहर में आने जाने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के विकल्प सं. 02 के अनुसार खसरा नम्बर 440, 442, 439 में से संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी । प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि तहसील पीपाड़ शहर में जरिये चैक/डीडी जमा करवायें । तहसीलदार पीपाड़ शहर प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई प्रतिकर राशि को अप्रार्थीगण को वितरित कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पृथक से तहरीर जारी हो, उभय पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)